



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2513]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2017/भाद्र 10, 1939

No. 2513]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2017/BHADRA 10, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2017

का.आ. 2872(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालय को उक्त उपधारा के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात् -

सारणी

न्यायालय (1)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (2)
अपर जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, पटना	बिहार राज्य

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-1 (खंड-IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2017

S.O. 2872(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna, hereby designates the following Court mentioned in column (1) the Table below as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said sub-section, namely:-

TABLE

Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)
Court of Additional District and Sessions Judge, Patna	State of Bihar

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.